राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री जे.एन.मथुरिया (आर.ए.एस.)

आर.सी.एम.एस 2018/00012
अपील संख्या 6/18 (223 आर.टी.एक्ट.)
उनवान

1. रूजदार पुत्र मुराद जाति मेव निवासी ग्राम भौरी तहसील पहाडी जिला भरतपुर हाल आबाद ग्राम खाईका तहसील हथीन जिला पलवल (हरियाणा)
2. महबूब पुत्र मुराद जाति मेव निवासी ग्राम भौरी तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर।
3. इलियास पुत्र मुराद जाति मेव निवासी ग्राम भौरी तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर हाल आबाद ग्राम खाईका तहसील हथीन जिला पलवल (हरियाणा)

.........................अपीलांट

बनाम

1. पहलू
2. समसू
3. ईसाक

पुत्रगण स्व0 फजरू जाति मेव निवासी ग्राम भौरी तहसील पहाडी जिला भरतपुर हाल आबाद ग्राम खाईका तहसील हथिन जिला पलवल (हरियाणा)

4. शाजू
5. अनफा
6. नसरू

पिस. रमजानी जाति मेव निवासी भौरी तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर हाल निवासी ग्राम खाईका तहसील हथीन जिला पलवल (हरियाणा)

7. मौहम्मदी पत्नि रमजानी
8. असलूप पुत्र जूहरू
9. असलम पुत्र जूहरू
10. फजरी पुत्र जूहरू

जाति मेव निवासी भैरी तहसील पहाडी जिला भरतपुर हाल निवासी खाईका तहसील हथीन जिला पलवल (हरियाणा)

...............असल रेस्पोडेन्टस

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर।

अपील अन्तर्गत
धारा 223 आरटी एक्ट विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.06 सहायक कलक्टर कामां मु0 नं. 405/02 उनवानी रूजदार बनाम फजरू

उपस्थिति :– वकील अपीलांट श्री मुरारीलाल तिवाडी एड.
वकील रेस्पोडेन्ट श्री पंकज कुमार एड.

निर्णय दिनांक 18.12.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि आराजी खसरा 969/3.05, 970/2.04, 978/0.19, 982/1.08, 983/1.09, 893/2.02, 984/0.15, 1202/0.17, 678/1.16, 899/0.19, 904/2.12,975/3.02,976/1.08,980/0.13,981/1.06, 1417/2.11 किता 16 रकबा 27 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम भौरी तहसील पहाडी जिला भरतपुर में स्थित हैं। जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है। विवादित आराजी बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलव किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगाई गई।

वकील अपीलार्थी के न्यायालय में उपस्थित होने के उपरांत भी बहस नहीं करने के कारण एकतरफा बहस सुनी गई।

दौराने बहस वकील प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपील मियाद बाहर है और जो स्पष्टीकरण दिया गया है वह संतोषप्रद नहीं हैं। अपीलार्थी को मामले का शुरू से ही ज्ञान था एवं इतनी लम्बी अवधि तक यदि वह अपने मामले की पड़ताल नहीं करे तो यह घोर लापरवाही हैं गुणावगुण पर बहस करते हुए प्रकट किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी दी जाने का कोई प्रावधान नहीं हैं। अतः अपील विलंब एवं गुणावगुण दोनों स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य हैं।

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थीगण द्वारा बहस न करने से यह माना जा सकता है कि अपीलार्थी का उद्देश्य केवल प्रकरण को लंबित रखना हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से भी यह तथ्य प्रकट होता हैं, कि लगभग दो वर्ष तक साक्ष्य पेश नहीं की गई एवं निर्णय के लगभग 12 वर्ष पश्चात् अपील पेश की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह उचित ही माना है, कि भूमि को अधिकतम पाँच वर्ष के लिये ही काश्त पर बताया जा सकता हैं। संवत् 2016 के पश्चात भी गिरदावरी द्वारा कब्जा साबित किये जाने के प्रावधान विद्यमान रहे है, लेकिन उनका भी प्रयोग अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय में नहीं किया हैं।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी मियाद/गुणावगुण दोनों ही बिन्दुओं पर खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.06.06 यथावत रखे जाते हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 18.12.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

Web Copy - Not Official

डिकरी बसीगे अपील

(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीबानी)
Procedure Code,Appendix D&1)
अज अदालत **राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** मुकाम **भरतपुर**
व इजलास श्री जगदीश नारायण मथुरिया (आर0ए0एस0)

आर.सी.एम.एस 2018/00012
अपील संख्या 6/18 (223 आर.टी.एक्ट.)
उनवान

1. रूजदार पुत्र मुराद जाति मेव निवासी ग्राम भौरी तहसील पहाडी जिला भरतपुर हाल आबाद ग्राम खाईका तहसील हथीन जिला पलवल (हरियाणा)
2. महबूब पुत्र मुराद जाति मेव निवासी ग्राम भौरी तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर।
3. इलियास पुत्र मुराद जाति मेव निवासी ग्राम भौरी तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर हाल आबाद ग्राम खाईका तहसील हथीन जिला पलवल (हरियाणा)

.........................अपीलांट

बनाम

1. पहलू | पुत्रगण स्व0 फजरू जाति मेव निवासी ग्राम भौरी तहसील
2. समसू | पहाडी जिला भरतपुर हाल आबाद ग्राम खाईका तहसील
3. ईसाक | हथिन जिला पलवल (हरियाणा)
4. शाजू | पिस. रमजानी जाति मेव निवासी भौरी तहसील पहाड़ी
5. अनफा | जिला भरतपुर हाल निवासी ग्राम खाईका तहसील हथीन
6. नसरू जिला पलवल (हरियाणा)
7. मौहम्मदी पत्नि रमजानी
8. असलूप पुत्र जूहरू |
9. असलम पुत्र जूहरू | जाति मेव निवासी भैरी तहसील पहाडी जिला
10. फजरी पुत्र जूहरू | भरतपुर हाल निवासी खाईका तहसील हथीन जिला पलवल (हरियाणा)

...............असल रेस्पोडेन्टस

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटी एक्ट विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.06 सहायक कलक्टर कामां मु0 नं. 405/02 उनवानी रूजदार बनाम फजरू

यह अपील ......18............माह.......12............सन्.......2018.........व हमारे ...श्री मुरारी लाल एड0.... मिनजानिब अपीलाण्ट व् श्री पंकज कुमार......रैस्पोडेण्ट समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि अपील अपीलार्थी मियाद एवं गुणावगुण पर चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज की जाती हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.06.06 यथावत रखे जाते हैं।
(खर्चा अपील................का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग...................................)रूपये................ .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का..अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख**........18** ....माह**.......12**.....सन्..........**2018**.........को जारी की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Web Copy - Not Official